1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2024 / 129

मुकदमा नम्बर 48 / 2024 दर्ज दिनांक— 21.03.2024

रामुराम उर्फ राजेन्द्र सैनी पुत्र बिडदीचन्द जाति माली निवासी खारिया मोदी वाली ढाणी, चिराना तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

—आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ

—अनावेदक

वकील आवेदक :— श्री अनुराग सोनी, श्री विकास सैनी

वकील अनावेदक :— पैरा. राज.

प्रार्थना--पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: निर्णय दिनांक 18.06.2024

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम चिराना पटवार हल्का चिराना की सरहद में भूमि खाता सं. नया 90 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 735 रकबा 0.16 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रामुराम पुत्र बिडदीचन्द की बजाय राजेन्द्र सैनी पुत्र बिड़दु राम दुरूस्त करे।

अनावेदक तहसीलदार नवलगढ़ की और से जरिये पैरो. राज. रिपोर्ट कमांक 1813 दिनांक 27 / 05 / 2024 पेश हुई। जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा अपने प्रा. पत्र में चाहा गया संशोधन किया जाना उचित है।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। तहसीलदार नवलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय व न्यायोचित है।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट से इत्तिफाक रखते हुये यह न्यायालय आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र स्वीकार करता है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नवलगढ ग्राम चिराना पटवार हल्का चिराना की सरहद में भूमि खाता सं. नया 90 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 735 रकबा 0.16 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रामुराम पुत्र बिडदीचन्द की बजाय राजेन्द्र सैनी पुत्र बिड़दु राम दुरूस्त कर दर्ज किये जाने का आदेश किया जाता है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय / आदेश आज दिनांक 18.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
जिला—झुझुंनू

142

Scanned with CamScanner